



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 16-02-2026

विषय:- जनपद चन्दौली/वाराणसी में मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120) के चैनेज 21.00 से चैनेज 32.235 तक 04/06 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 11.235 किमी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-263/पी0जे011/15पी0जे0/25, दिनांक 10-09-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चन्दौली/वाराणसी में मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120) के चैनेज 21.00 से चैनेज 32.235 तक 04/06 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 11.235 किमी0) की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-11/2022/1/130559/2022-23-11099(099)/192/2021, दिनांक 07-01-2022 द्वारा लागत रु0 32884.01 लाख की प्रदान की गयी है। प्रश्नगत परियोजना की लागत में परिवर्तन के कारण व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रु0 32593.08 लाख (रूपये तीन अरब पच्चीस करोड़ तिरानबे लाख आठ हजार मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	प्रा0ख0 चन्दौली	जनपद चन्दौली/वाराणसी में मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120) के चैनेज 21.00 से चैनेज 32.235 तक 04/06 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 11.235 किमी0)।	32884.01	32593.08

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाय।
- (2) कार्य की विशिष्टता, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/विभाग की होगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
- (7) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
- (9) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (10) मूल्यहास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
- (11) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति (0.082 हेक्टेयर) हेतु लागत ₹0 117.33 लाख का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाय।
- (12) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भवनों के ध्वस्तीकरण/मुआवजा हेतु ₹0 872.38 लाख का प्राविधान किया गया है। विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (13) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में यू0पी0पी0सी0एल0 कार्यों हेतु ₹0 1271.97 लाख, पाइप लाइन शिफ्टिंग हेतु ₹0 315.14 लाख, वन विभाग हेतु लागत ₹0 292.19 लाख तथा धार्मिक स्थलों की शिफ्टिंग हेतु ₹0 273.35 लाख का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों का Verification & revalidation स्वयं करते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यो हेतु सम्बन्धित विभागों से तकनीकी स्वीकृति, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि उपभोग प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा प्राप्त किया जाये तथा बचत धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाये।

(15) प्रायोजना में अधिष्ठान व्यय हेतु निर्माण लागत का 6.875 प्रतिशत पूर्व में स्वीकृत लागत रु0 1778.46 लाख को वर्क इन में सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि को नियमानुसार डिपॉजिट किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं, तो उक्त धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(16) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो, जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(17) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(18) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(21) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2024/बी-1-352/दस-2025-231-2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(22) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-11/2022/1/130559/2022-23-11099(099)/192/2021, दिनांक 07-01-2022 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य-0303-राज्य राज मार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्यों हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-923-X-2025-26 दिनांक 12-02-2026 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।